न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 133/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/148)

निर्णय दिनांकः– 13-01-2026

1. धर्माराम पुत्र हमीराराम जाति जाट निवासी लाखुसर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 10–06–2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 10–06–2003 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित कर दी गई के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट भूमिहीन कास्तकारी पेश व्यक्ति है। अपने परिवार का पालन पोषण कृषि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कार्य व पशुपालन करके करता है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेश एवं आवंटन अधिकारी कोलायत द्वारा वर्ष 1984 में राज्य सरकार के आदेशो के मुताबिक भूमिहिन परिवार थे उन्हे भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र मांगे गये। अपीलांट भूमिहीन श्रेणी का था। प्रार्थी का पेशा खेती हर मजदूरी एवं बालिक था। तथा प्रार्थी भूमि आवंटन का पात्र था। आज भी प्रार्थी अपिलांट भूमिहीन परिवार से है। अपीलांट द्वारा दिनांक 19.01.1985 को अधीनस्थ न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत में तहसील कोलायत में 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र भूमिहिन परिवार की श्रेणी में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अपीलांट का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में क्रमांक 777 दिनांक 19.01. 1985 दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर अपीलांट को यह आश्वासन दिया कि अपीलांट का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर लिया गया है। भूमि आवंटन के समय अपीलांट को नोटिस देकर सुचित कर दिया जायेगा। अपीलांट ने भूमि आवंटन के इंतजार करते करते 17 वर्ष बाद दिनांक 13.05.2002 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस देकर की कमाण्ड भूमि उपल्बध नहीं है प्रार्थी अनकामांण्ड भूमि आंवटन करवाना चाहता है तो विकल्प में भूमि आंवटन कि जा सकती है। प्रार्थी ने सहमति व्यक्त कर विकल्प में अनकमांण्ड भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया। आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लेकर प्रार्थी अपीलांट को कहा कि आप को आवंटन कर सुचना दे दी जायेगी । अपीलांट अपने गांव चला गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन अपीलांट को चक 20 बी.एस.एम के मुरबा नं 67/34 के किला नं 1 ता 25 अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा प्रार्थी का शपथ पत्र व सबूत पेश करने पर आवंटन आदेश जारी हो, का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत किया गया। उक्त आदेश कि सुचना अपीलांट को नहीं दी गई। उक्त आदेश प्रदत करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2003 को पत्रावली पेशी में लेकर अपीलांट को किया गया आवंटन दिनांक 13.05.2002 को अपीलांट को बिना सुने अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया जिसके विरूद यह अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा बार बार अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय में भूमि आवंटन हेतु चक्कर लगाता रहा। हमेशा अपीलांट को यही आश्वासन मिलता रहा कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। जब भी भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होगी भूमि आवंटन कर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट को सुचित कर दिया जायेगा। इसी दौरान ए.सी.सी कोलायत का कार्यालय में कोलायत क्षेत्र की विचाराधिन पत्रावली जो उपनिवेशन विभाग के दौरान प्रक्रियाधिन थी उन्हे उपनिवेशन विभाग टुटने पर रेवन्यू विभाग में उपखण्ड अधिकारी बज्जू को सुपुर्द कर दी गई। अपीलांट उपखण्ड अधिकारी बज्जू के कार्यालय में भी कई बार अपनी पत्रावली पर भूमि आवंटन हेतु चक्कर लगाता रहा। परन्तु अपीलांट को कोई न्याय नहीं मिला। अपीलांट द्वारा दिनांक 15.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के कार्यालय में अपनी भूमि आवंटन की पत्रावली व प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही का पता करने गया। अपीलांट ने अपनी पत्रावली की नकल मागी तो संबंधित कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया है। अपीलांट कि पत्रावली बज्जू रिकॉर्ड रूम कार्यालय में जमा है वहां से नकल प्राप्त कर लो। अपीलांट दिनांक 20.02.2024 को जरिये वकील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू कार्यालय में अपनी भूमि आवंटन की पत्रावली की नकल हेतु आवेदन पेश किया जो तैयार बाद दिनांक 29.02.2024 को प्राप्त हुई। प्रमाणित नकल प्राप्त होने पर अपीलांट के वकील ने पत्रावली का अवलोकन कर बताया कि अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र पर भूमि आवंटन कर दिनांक 16.06.2003 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना नोटिस दिये इस आधार पर खरीज कर दिया कि आवेदक ने आवेदन करते समय अपने धारण कि खातेदारी भूमि को ग्राम वाके लाखुसर की 66 बीघा 19 बिस्वा भूमि को छिपाया है। इस कारण आवेदक का आवंटित भूमि चक 20 बी.एस. एम. के मुरब्बा नम्बर 67/34 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पुख्ता आवंटन दिनांक 13–05–2002 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की पत्रावली पर पेश किये गये सबुत को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत दिनांक 10–06–2003 निरस्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का भूमिहीन काश्तकारी प्रमाण पत्र तहसीलदार, बीकानेर से तस्दीक सुदा शामिल पत्रावली है। जिसमें प्रार्थी की आय का स्त्रोत कृषि माना है। भूमिहीन प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी/अपीलांट की संयुक्त परिवार के नाम ग्राम

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

लाखुसर में 43 बीघा 2 बिस्वा भूमि है जिसमें से प्रार्थी/अपीलांट के हिस्से में 13 बीघा 6 बिस्वा बारानी भूमि आती है।

अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13–05–2002 के द्वारा पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश हुई। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में अंकित किया गया कि अपीलांट गोपालराम द्वारा बतौर भूमिहीन श्रेणी में बीघा भूमि आवंटन करवाने हेतु पात्र घोषित है कमाण्ड भूमि उपलब्ध नही होने के कारण प्रार्थी/अपीलांट को अनकमाण्ड भूमि आवंटन कराने हेतु विकल्प पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अनकमाण्ड भूमि आवंटन कराने का विकल्प पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जरिये लॉटरी चक 20 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 67/34 में किला नम्बर 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई। उक्त आदेश के बाद पत्रावली दिनांक 02–04–2003 को पत्रावली पेशी में दिखाकर अपीलांट का आवंटन किसी शिकायत के आधार पर खारिज करने का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेशिका दिनांक 10–06–2003 द्वारा अपीलांट के पास धारण की खातेदारी भूमि वाके लाखूसर के तथ्य छिपाने के आधार पर अपीलांट को आवंटित चक 20 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 67/34 की 25 बीघा भूमि का आवंटन खारिज किया गया है।

न्यायालय हाजा के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वरवक्त आवेदन अपीलांट के धारण में ग्राम लाखुसर में 66 बीघा 19 बिस्वा भूमि थी अथवा नही?

इसके लिए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार रिपोर्ट, जमाबंदी अथवा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है। जिससे कि अपीलांट के धारण में वरवक्त आवेदन भूमि होना प्रकट होता है। स्टेट द्वारा अपीलांट के धारण में भूमि होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश किस आधार पर पारित किया गया? अपीलाधीन आदेश यदि किसी शिकायत के आधार पर पारित किया गया हो तो पत्रावली पर ऐसी शिकायत अथवा इस शिकायत के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है। जबकि अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसके धारण में ग्राम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

लाखुसर में 66 बीघा 19 बिस्वा भूमि नही रही है। इस स्थिति में इस न्यायालय के पास इस बिन्दू को विनिशिचित करने हेतु अपीलांट के शपथ पत्र के अलावा अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है।

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस तथ्य की जॉच करे कि अपीलांट द्वारा आदेश करते वक्त उसके धारण में ग्राम लाखुसर में कोई भूमि थी अथवा नही? तद्नुसार प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 13-01-2026को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर